झारखण्ड सरकार,
विधि (न्याय) विभाग,
झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–834004.

आदेश संख्या–झा0–विधि–अभि0–स्वी0–16/2014– 18 /जे0 राँची, दिनांक– 9 मई, 2014.

–::आदेश::–

चूँकि, सचिव, विधि विभाग, को सम्बोधित जल संसाधन विभाग की संचिका संख्या–8/ज0सं0(नि0) ग्रा0–25/2013 एवं उसमें उपलब्ध कागजात, प्राथमिकी, कांड–दैनिकी, पर्यवेक्षण–टिप्पणी तथा अभिलेखों के परिशीलन के बाद राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि मनिका थाना कांड संख्या–55/2010, दिनांक 12.08.2010 के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त श्री श्यामनाथ दुबे, सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त), लातेहार के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 के अधिनियम संख्या–45) की धारा–420, 467, 468, 471, 120(बी0) के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम द्रष्ट्या केस बनता है;

और चूँकि, दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 की अधिनियम संख्या–2) की धारा–197(1)(बी0) के उपबंधों के अधीन कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध, जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो इसके द्वारा अपने पदीय–कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है;

और चूँकि, श्री श्यामनाथ दुबे, सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त), लातेहार ऐसे लोक सेवक हैं, जो राज्य सरकार की मंजूरी पर ही सेवा से हटाये जा सकते हैं, और यह अभिकथित है कि उन्होंने यह अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया है;

और, अब, इसलिए राज्य सरकार एतद् द्वारा दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 की अधिनियम संख्या–2) की धारा–197(1) (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता (1860 के अधिनियम संख्या–45) की धारा–420, 467, 468, 471, 120(बी0) के उपबंधों के अधीन अपराधों के लिए उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
09.05.14
(बी0बी0 मंगलमूर्त्ति),
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी,
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

–विधि–अभि0–स्वी0–16/2014– 18 /जे0 राँची,दिनांक– 9 मई, 2014
सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची की संचिका संख्या–8/ज0सं0(नि0) ग्रा0–25/2013 के प्रसंग में उस विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

(बी0बी0 मंगलमूर्त्ति),
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी,
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः–8 / ज.सं.(नि.)ग्रा.–25 / 2013:– /1258/ राँची, दिनांकः– 9-6-14

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, लातेहार को उनके पत्रांक–347 / विधि दिनांक–13.08.2013 के क्रम में / पुलिस अधीक्षक, लातेहार / संयुक्त सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।